5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

17

15

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क /2016 पुनर्विलोकन रिव्यू - 985 - II-16

सुनील सिंह जादौन ES
21-3-16
21-3-16

1. ईश्वरी प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय
2. तेजराज पाण्डेय पुत्र श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय
3. सुनील कुमार पुत्र श्री हीरामणि पाण्डेय समस्त निवासीगण शाहपुर ताली तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

.........आवेदकगण / निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

बालेश्वर प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री सुन्दरलाल पाण्डेय निवासी शाजपुर ताली तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

..........अनावेदक

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत म.प्र. भू–राजस्व सहिता , 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी 2182/दो /2013 मे पारित आदेश दिनांक 2.3.2016 को पुर्नविलोकन किये जाने वावत ।

श्रीमान जी,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

<u>प्रकरण के संक्षेप तथ्य</u>

1. यहकि, प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण ने तहसीलदार मझगवा जिला सतना के प्रकरण क 13/अ–6/2007–08 मे पारित आदेश दिनांक 2.5.2013 के विरूद्ध श्रीमान के समक्ष निगरानी क 2182/दो/2013 प्रस्तुत की गई जिस निगरानी मे दिनांक 5.8.2013 को माननीय उच्च न्यायालय जवलपुर मे प्रस्तुत सेकेण्ड अपील **SA 1073/2009** मे पारित स्थगन आदेश 12.10.2009 के पालन मे इस न्यायालय द्वारा भी स्थगन आदेश दिया जाकर यथास्थिति प्रदान किये जाने के आदेश दिये थे ।
2. यहकि, तहसीलदार मझगवा द्वारा सिविल न्यायालय के आदेश के पालन मे आदेश दिनांक 30.1.2008 पारित किया गया परन्तु जिस सिविल न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जवलपुर के समक्ष द्वितीय अपील 1073/2009 प्रस्तुत की गई जिसमें आदेश दिनांक 12.10.2009 से स्थगन आदेश अपील के निराकरण काल तक किया गया
3. यहकि, तहसीलदार न्यायालय मझगवा के प्रकरण क 13/अ–6/2007–8 मे पारित आदेश दिनांक 30.1.2008 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मझगवा के समक्ष प्रक 143/अपील/07–08 दायर की गई जो अपील स्वीकार की गई एंव आदेश दिनांक 30.1.08 निरस्त की गई अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील क 10/अपील/08–09 दायर की गई जो अपील मे दिनांक 27.3.2010 को आदेश पारित किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर के समक्ष निगरानी क 1484/चार/08 दायर की गई जो दिनांक 3.10.2012 से समाप्त हुई ।

...न्यायालय के ... का प्रस्तुत

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 985–दो / 2016 जिला–सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
08/07/-18	आवेदक अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री ओ0 पी0 शर्मा उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2182–दो / 13 में पारित आदेश दिनांक 02.03.16 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक रिव्यु 985–दो / 2016 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण निगरानी 2182–दो / 13 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 02.03.16 से किया जा चुका है। 4 पकरण कमांक रिव्यु 985–दो / 2016 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार	

बताये गये हैं। प्रकरण कमांक रिव्यु 985–दो/2016 उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य